



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/रायपुर/चू०प०-50/रायपुर-खण्ड 2 38 एम०पी०आर० 28018

दिनांक:- 16/10/2019

प्रति,

श्री के० सी० झांवर, नामित मालिक एवं उप प्रबंध निदेशक,  
सर्वश्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,  
"बी विंग", अहुरा सेन्टर, प्रथम तल, महाकाली केव रोड,  
अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई (महाराष्ट्र)-400093

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी रावन जिपन चूनापत्थर खदान 722.  
834 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19/09/2019 को श्री मयंक  
सैनी, खान प्रबंधक एवं श्री कमलेश चन्द्राकर, भुविज्ञानी की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के  
दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का  
उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 14 (3)</b>	The overburden and waste material obtained during mining operations has been mixed with Limestone and found dump with waste material.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत:-  
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- श्री के० सी० जैन, एजेन्ट (माईन्स) एवं वरिष्ठ वाईस प्रेसीडेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, (यूनिट रावन सीमेंट वर्क्स), पोस्ट-ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदा बाजार भाटापारा (छ०ग०)-493196

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर